

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इन्दिरा रसोई योजना/20/3704-37 दिनांक: 02-08-2020

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :- इन्दिरा रसोई योजना के संचालन के दिशा-निर्देश भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा "कोई भूखा ना सोये" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्थानीय स्वादानुसार सस्ती दर पर पोष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराना है।

प्रदेश की सभी नगर निकायों में रसोईयों के संचालन हेतु कार्यरत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट में से योजना के दिशा-निर्देशानुसार चयन किया जाना है। रसोई हेतु स्थान का चयन सार्वजनिक स्थल यथा - रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट, अस्पताल, मजदूर चौखटी एवं कच्ची बस्तियों, आश्रय स्थल अथवा ऐसे व्यवसायिक केन्द्र जहां पर शहरी गरीबों का घनत्व हो, में से किया जावे।

योजनान्तर्गत 213 नगर निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति रसोई में अधिकतम 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद/नगर पालिका में 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपये लिए जायेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपये अनुदान के रूप में देय होंगे।

निकायवार रसोईयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	निकायों की संख्या	प्रस्तावित रसोईयों की संख्या	रसोई संख्या
नगर निगम	10	87	जयपुर 20, कोटा, जोधपुर 16, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर - 10 एवं भरतपुर 5
नगर परिषद	34	102	3 रसोई प्रति नगर परिषद
नगर पालिका	169	169	1 रसोई प्रति नगर पालिका
योग	213	358	

उक्त योजना का संचालन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति के निर्देशन में किया जाएगा। योजना की विस्तृत गाईडलाइन सक्षम अनुमति एवं वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 132000153 दिनांक 02.08.2020 से स्वीकृत पश्चात संलग्न कर प्रेषित है। निर्देशानुसार इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 20.08.2020 से किया जाना है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुरूप प्रभावी क्रियान्वन करना सुनिश्चित करावे।

संलग्न - इन्दिरा रसोई योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश
(पृष्ठ 1 से 14)

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

21/8/20

कमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इन्दिरा रसोई योजना/20/3788-^{40/6} दिनांक: 02-8-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, संभाग, समस्त राजस्थान।
12. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपनी निकाय में निर्धारित इन्दिरा रसोईयों का संचालन समयबद्ध रूपरेखा अनुसार करना सुनिश्चित करें।


(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

—: इन्दिरा रसोई योजना :—

1. **प्रस्तावना :—** राज्य के नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, श्रम कार्यो इत्यादि हेतु नियमित आगमन करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में आश्रय स्थल का निर्माण कर पलायन करने वाली जनसंख्या की आवास की व्यवस्था उपलब्ध होती है परन्तु भोजन की समुचित व्यवस्था न होने से इन गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाली जनसंख्या यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल, मजदूर चौकटी, विभिन्न मण्डियां एवं कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, स्थानीय स्वादानुसार एवं सस्ती दर पर खाना उपलब्ध करवाया जाना, इस योजना का उद्देश्य है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में दिनांक 13.03.2020 को घोषणा की "पूर्व सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना अच्छी योजना है, जिसमें शहरी गरीबों को सस्ता भोजन मिल पाता है, परन्तु इसे जिस रूप में बनाया गया है, उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, इन्हें ठीक करने का अलग से कार्य किया जायेगा"

अन्नपूर्णा रसोई योजना को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठन कर अन्य राज्यों में संचालित इसी तरह की रसोई योजनाओं जैसे "अम्मा केन्टीन-चैन्नई", "इन्दिरा केन्टीन-बैंगलुरु" का अध्ययन किया गया। साथ ही अन्य प्रचलित योजनाओं यथा "किसान कलेवा योजना, राजस्थान", "दीनदयाल रसोई-मध्यप्रदेश" एवं "श्रमिक अन्नपूर्णा योजना-गुजरात" का भी अध्ययन किया गया। विभिन्न राज्यों में संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सर्वे एवं इनसे प्राप्त तथ्यों तथा अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा उपरान्त इसमें अपेक्षित सुधार करते हुए दिनांक 22.06.2020 को राज्य स्तरीय कोविड-19 जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉचिंग के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने "कोई भूखा ना सोये" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में "इन्दिरा रसोई योजना" की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमन्द लोगों को दो समय का शुद्ध पोष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के संचालन में स्थानीय एन.जी.ओ. की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विभागीय मोनिटरिंग होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रुपये 8/- प्रति व्यक्ति की दर पर

4

1

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

दोपहर/रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। "इन्दिरा रसोई योजना" का विधिवत शुभारम्भ दिनांक 20.08.2020 से किया जाना है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार है।

2. योजना का मूल रूप एवं कार्यक्षेत्र –

- 2.1 "इन्दिरा रसोई योजना" के अंतर्गत प्रदेश की समस्त नगर निकायों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक नगर निकाय में कम से कम एक स्थायी रसोई का निर्माण कर गरीब जनता को दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 2.2 शहर के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार रसोईयों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। बड़े शहरों में भोजन पहुंचाने के लिए आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति से भोजन वितरण हेतु एक्सटेन्शन काउन्टर बनाये जाकर अथवा अतिआवश्यक होने पर वैन द्वारा भी भोजन वितरण किया जा सकेंगे, जिनकी मोनीटरिंग जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित टीम द्वारा की जायेगी।
- 2.3 **जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन** – योजना के सफल संचालन, क्रियान्वयन एवं मोनेटरिंग हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति का सहकारी विभाग के संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के तहत गैर लाभकारी संगठन (NGO) के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जिला कलेक्टर इस समिति के माध्यम से इस सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा करेंगे।
- 2.4 **स्थलों का चयन** – रसोई की स्थापना के लिए ऐसे स्थलों का चयन किया जायेगा, जिन क्षेत्रों में शहरी गरीबों का घनत्व अधिक हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, अस्पताल, मजदूर चौखटी, विभिन्न मण्डियां एवं कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल अथवा ऐसे व्यवसायिक केन्द्र जहां पर शहरी गरीब तबका आदि कार्यरत हो। स्थल का चयन जिले की सभी नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति के अनुमोदन के पश्चात किया जावेगा।
- 2.5 **स्थान** – संबंधित नगर निकाय द्वारा रसोई हेतु स्थान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। उपयुक्तता के आधार पर स्थान निर्धारण कर सरकारी भवनों, आश्रय-स्थल, अम्बेडकर भवन, सामुदायिक भवन, अनुपयोगी सरकारी भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्डों, चयनित संस्था के निजी भवनों आदि में संचालित की जायेगी। उक्त में से स्थान की अनुपलब्धता पर किराये के भवन में रसोई का संचालन किया जा सकेगा, जिसका भुगतान योजना के आवृत्ति व्यय मद से किया जा सकेगा।
- 2.6 रसोईयों में भोजन वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित किया जायेगा। इसके लिए आधुनिक रसोईयों की स्थापना की जायेगी, जिनमें साफ-सुथरा एवं स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्वच्छ एवं स्मार्ट किचन जो यथासंभव यंत्रीकृत हों,

#

निर्मित किये जावेंगे। किचन इस प्रकार तैयार किये जायेंगे जिससे वे आसानी से साफ-सफाई करने योग्य, हवादार एवं आधुनिक सुविधा युक्त हों।

2.7 योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य दायित्व :-

- **संस्था का चयन** – जिले की प्रत्येक नगर निकाय में रसोई योजना संचालन हेतु संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा। एकरूपता हेतु सभी 358 रसोईयों में भोजन की दरे निर्धारित कर दी गई है अतः समिति EoI के माध्यम से इस योजना के संचालन हेतु कार्यरत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट में से चयन करेगी। संस्था के चयन हेतु नगर निकाय प्रचार-प्रसार के साथ पारदर्शिता से प्रस्ताव प्राप्त करेगी, समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यानुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार क्रम में वरियता देते हुए चयन करेगी :-
 - i. जिन संस्थाओं का स्वयं का भवन हो ओर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान नहीं लेकर, स्वयं के स्तर से योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
 - ii. जो संस्था राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि पूर्ण या आंशिक न लेकर योजना के मानदंडों के अनुसार रसोई का संचालन करने का प्रस्ताव दे।
 - iii. जिन संस्थाओं का स्वयं का/स्वपोषित किराये का भवन हो, जो पूर्व में ऐसा कार्य कर रही हो।
 - iv. प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
 - v. ऐसी संस्था जो पूर्व में ही रसोई संचालित कर रही है, वे भी योजना से जुड़ सकती है। उन्हें अपनी रसोई में इन्दिरा रसोई योजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। साथ ही योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

चयनित संस्था से निर्धारित प्रारूप में तीन वर्ष की अवधि का अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। तत्पश्चात संस्था का कार्य सन्तोषजनक रहने पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। प्रत्येक नगर निकाय के लिए रसोई अथवा रसोई समूह के लिए पृथक-पृथक संस्था का चयन किया जा सकेगा। एक संस्था एक से अधिक नगर निकायों में भी कार्य कर सकेगी। रसोई संचालन हेतु उपरोक्त उल्लेखित संस्थाओं में से योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी सेवा



3
(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

प्रदाता संस्था उपलब्ध नहीं होती है तो स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG)/एरिया लेवल फेडरेशन (ALF)/सिटी लेवल फेडरेशन (CLF) को रसोई संचालन का दायित्व दिया जा सकता है अथवा निविदा जारी कर इच्छुक निविदा प्रदाता की सेवाएं लेने पर विचार किया जा सकता है।

- **आधारभूत व्यय**— आधारभूत मद में एकमुश्त राशि 5 लाख प्रति रसोई का प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्रत्येक रसोई हेतु (i) भवन की एकरूपता साज-सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस-चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्ठी, चिमनी, वाटर कूलर— आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राइण्डर, आटा गूंथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम (v) टेबल-कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। उक्त आधारभूत संसाधनों का क्रय जिले की समस्त निकायों हेतु जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा।
- **आवर्ती व्यय** — आवर्ती मद में राशि 3 लाख प्रति रसोई/प्रतिवर्ष का प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्रत्येक रसोई हेतु (i) पेयजल, इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज-सज्जा का कार्य (iii) सैनिटाइजर एवं मास्क (iv) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं कैंटरिंग सामान का रिप्लेसमेंट (v) सरकारी भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन किराया जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की अनुशंसा पर रसोई के सुचारु संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय होने पर राशि का भुगतान रसोई संचालक द्वारा किया जायेगा।
- सम्पूर्ण योजना के मोनेटरिंग हेतु निदेशालय एवं जिला स्तर पर पृथक प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा। इन प्रकोष्ठों में प्रभारी के अतिरिक्त स्टाफ एवं अपेक्षित संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे। जिसका व्यय योजना के प्रशासनिक व्यय मद से किया जा सकेगा।

2.8 आम जनता इन्दिरा रसोई योजना की शिकायत पोर्टल पर कर सकती है। नगर निकाय द्वारा प्राप्त शिकायतों की जाँच कर अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित संस्था के खिलाफ कर सकती है। असन्तोषजनक कार्यप्रणाली पाये जाने पर संस्था को सुनवाई का पर्याप्त समय देते हुए कार्य आदेश जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन

4

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

पश्चात निरस्त किये जा सकते हैं। संस्था के आदेश निरस्त करने से पूर्व एक माह का समय दिया जायेगा।

- 2.9 सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8.30 बजे से मध्याह्न 1.00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 5.00 बजे से 8.00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु जिला स्तरीय समिति अपने स्तर पर समय में परिवर्तन कर सकेगी। सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 2.10 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति स्थानीय स्वादानुसार भोजन का मैन्यू निर्धारित करेगी। सप्ताह के प्रत्येक दिन मैन्यू भी स्थानीय स्वाद अनुसार समिति द्वारा निर्धारण किया जायेगा।
- 2.11 **रसोईयों का निर्धारण** – योजनान्तर्गत नगर निगम क्षेत्रों में 87 रसोईयों (अजमेर-10, जयपुर-20, जोधपुर-16, कोटा-16, बीकानेर-10, उदयपुर-10, भरतपुर-5)। प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र (कुल 34 नगर परिषद) में 03 रसोईयां एवं प्रत्येक नगर पालिका (कुल 169 नगर पालिका) क्षेत्र में 01 रसोई संचालित किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकता एवं मांग अनुसार जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के स्तर पर रसोई की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 2.12 **खाने की संख्या** – रसोई संचालन के प्रथम वर्ष में नगर निगम क्षेत्रों में प्रति रसोई अधिकतम 300 थाली लंच एवं 300 थाली डिनर तथा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रति रसोई अधिकतम 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिया जायेगा। तत्पश्चात राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भोजन की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। लाभार्थी को बैठाकर भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 2.13 **मैन्यू** – योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी एवं अचार सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार दिया जाएगा।
- 2.14 योजनान्तर्गत 213 नगर निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाकर, वर्तमान दिशा-निर्देशानुसार प्रतिदिन 1.34 लाख (4.87 करोड़ प्रतिवर्ष) से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- 2.15 लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8 रु० एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8 रु० प्रति थाली लिए जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा दोपहर भोजन प्रति थाली 12 रु. एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 12 रु. अनुदान के रूप में देय होगा। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 2.16 **बजट प्रावधान (वित्तीय)** – योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का प्रावधान निदेशालय स्तर से किया जायेगा। योजना हेतु वित्तीय प्रावधान 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत प्रथमतया

4

Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य मदों में उपलब्ध करवाई गई राशि से किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर नगर निकाय द्वारा व्यवस्था की जायेगी। इस योजना के लिए जिले में स्थित सभी नगर निकायों के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त, आहरण वितरण अधिकारी होंगे। इस हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकायों को योजनान्तर्गत बजट/राशि आवंटित की जायेगी।

2.17 योजना का संभावित व्यय :- योजनान्तर्गत 358 रसोईयों पर प्रथम वर्ष में संभावित व्यय राशि रुपये 94.96 करोड़ होगा, तत्पश्चात आधारभूत व्यय की एकमुश्त राशि को कम करने के बाद प्रतिवर्ष राशि रु. 78.98 करोड़ व्यय संभावित है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये में)

क्षेत्र का विवरण	रसोईयों की संख्या	अधिकतम भोजन की संख्या प्रति रसोई प्रतिदिन	अनुदान दर प्रति भोजन (रुपये में)	मासिक दिवसों की संख्या	संभावित व्यय
नगर निगम-10	87	600	12	30	1,87,92,000
नगर परिषद-34	102	300	12	30	1,10,16,000
नगर पालिका-152	169	300	12	30	1,82,52,000
*नवगठित -17					
योग					4,80,60,000
प्रशासनिक व्यय - 15% (A&OE, IEC)					72,09,000
मासिक व्यय					5,52,69,000
वार्षिक व्यय					66,32,28,000
आवर्ती व्यय - प्रत्येक रसोई हेतु (i) पेयजल इन्टरनेट एवं विद्युत के बिलों का भुगतान (ii) भवन के रंग रोगन, मरम्मत एवं साज-सज्जा का कार्य (iii) आवश्यकतानुसार खराब बर्तन एवं कटरिंग सामान का रिप्लेसमेंट (iv) जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की अनुशंसा पर रसोई के सुचारु संचालन में होने वाला अन्य व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा। राशि 3 लाख प्रति रसोई प्रतिवर्ष X 358					10,74,00,000
आधारभूत व्यय - प्रत्येक रसोई हेतु (i) भवन की एकरूपता साज-सज्जा (ii) पेयजल, विद्युत एवं गैस कनेक्शन (iii) रसोई हेतु बर्तन, बर्तन स्टेण्ड, खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, गैस-चूल्हा, वेजिटेबल स्टेण्ड, गैस भट्ठी, चिमनी, वाटर कूलर-आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज, चपाती वार्मर, सब्जी वार्मर, मिक्सर ग्राइण्डर, आटा गूंथने की मशीन (iv) कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर, इन्टरनेट, सीसीटीवी कैमरा, सिस्टम (v) टेबल-कुर्सी एवं अन्य फर्नीचर (vi) सैनिटाइजर एवं मास्क (vii) कार्मिकों की यूनिफार्म एवं जिला समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति द्वारा निर्देशित अन्य कार्य पर व्यय किया जायेगा। राशि 5 लाख प्रति रसोई एक मुश्त X 358					17,90,00,000
कुल वार्षिक संभावित व्यय (कर अतिरिक्त)					94,96,28,000
अक्षरे रुपये चौरानवे करोड़ छियानवे लाख अठाइस हजार मात्र					

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

2.18 दान व जनसहभागिता- इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। जिला कलक्टर अपने स्तर पर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थान से सीएसआर फण्ड से सहयोग हेतु प्रयास कर सकते हैं तथा इन संस्थानों से एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व दे सकते हैं। रसोई में विभिन्न दानदाताओं द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, भोजन के लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आशय का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित संस्था द्वारा किया जा सकेगा कि "आज का भोजन श्री द्वारा कारण से प्रायोजित है।" प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। भोजन प्रायोजित करने वाले व्यक्ति को उचित मान-सम्मान दिया जाएगा ताकि अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सके। रसोई संचालित करने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी से भी रसोई प्रयोजनार्थ दान/सहयोग नहीं लिया जायेगा। परन्तु ऐसी संस्थाएँ सीधे रूप से दान एवं जनसहयोग की राशि ले सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि पूर्ण अथवा आंशिक न लेकर अपने स्तर से योजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य करेगी।

2.19 भोजन की ईकाईयों के आधार पर अनुदान राशि एवं जीएसटी राशि के बिलों के भुगतान हेतु संस्था द्वारा बिल संबंधित नगर निकाय में प्रस्तुत किये जायेंगे। संबंधित नगर निकाय बिलों का 07 दिवस में समुचित प्रमाणित कर बिलों को भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकाय को भेजे जायेंगे, जहां बिल प्राप्त होने के बाद 07 दिवस में भुगतान किया जायेगा।

3. नगरीय निकायों की भूमिका - रसोई की स्थापना एवं उनके सुचारु संचालन की संपूर्ण जवाबदेही नगरीय निकायों की होगी। नगरीय निकाय रसोईयों के दिन-प्रतिदिन संचालन की नियमित मोनेटरिंग एवं समीक्षा करेगी।

3.1 प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी में कामगार, अप्रवासी मजदुर, शहरी गरीबों एवं जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यरत कार्मिक/लाभार्थियों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी, साथ ही सभी रसोईयों में सेनिटाइजेशन आदि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जावेंगी। रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच कराया जाना आवश्यक होगा।

Handwritten signature

7
(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

- 3.2 जिला मुख्यालय की निकाय द्वारा जिले में स्थित रसोईयो हेतु आधारभूत सामग्री निविदा के माध्यम से क्रय की जा सकेगी।
- 3.3 इन रसोईयों हेतु भवन की व्यवस्था संबंधित नगर निकाय, जिला प्रशासन या संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- 3.4 संबंधित नगर निकाय इन रसोईयों के भवन में होने वाले पूंजीगत व्यय हेतु जनसहयोग भी प्राप्त कर सकती है। सहयोग राशि हेतु नगर निकाय द्वारा अलग से बैंक खाता खोला जाकर प्राप्त राशि जमा करेगी।
- 3.5 प्रत्येक रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर एवं कैमरा होगा, जिससे लाभार्थी के रसोई में आगमन के समय कैमरे की मदद से आगन्तुक की फोटो खींचकर उसके नाम से भोजन हेतु कूपन जारी करेंगे। लाभार्थी से संबंधित समस्त डेटा का रियल टाइम आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर पर स्वतः संधारण होगा। भोजन हेतु लाभार्थी की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जावेगा।
- 3.6 संचालित संस्थाओं से प्राप्त बिलों को सम्बन्धित नगर निकाय प्रमाणित कर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निकाय (आहरण वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत करेगी।
- 3.7 जिला एवं निकाय स्तर पर योजना का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। नगर निकाय स्तर पर आयोजित बैठकों में इस योजना को स्थायी एजेण्डा बनाकर योजना की जानकारी दी जाकर समीक्षा की जाएगी।
- 3.8 संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी नियमित रूप से रसोई का भौतिक निरीक्षण कर गुणवत्ता, पौष्टिकता, स्वच्छता एवं सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर/निदेशालय को भेजेगा। यह समस्त जानकारीयां पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध होगी।
- 3.9 रसोईयों की साफ-सफाई एवं रसोईयों से अवशिष्ट/झूठन को नगर निकायों द्वारा नियमित रूप से निष्पादन किया जावेगा।

4. जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन एवं दायित्व—

- 4.1 योजना के संचालन, क्रियान्वयन मोनेटरिंग एवं समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति गठित की जावेगी। इस समिति का सहकारी विभाग के संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1959 के तहत गैर लाभकारी संगठन (NGO) के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा एवं समिति का पृथक से एक बैंक खाता खोला जायेगा। जिला कलेक्टर इस समिति के माध्यम से जिले में स्थित सभी इन्दिरा रसोईयों की नियमित समीक्षा करेंगे। उक्त समिति के गठन एवं कार्यशील होने तक जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इस योजना का प्रारम्भिक संचालन एवं समीक्षा करते रहेंगे।



4.2 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का गठन का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

1	जिला कलक्टर	पदेन अध्यक्ष
2	जिला मुख्यालय की नगर निकाय का आयुक्त	पदेन सचिव एवं कोषाध्यक्ष
3	जिला रसद एवं खाद्य अधिकारी	पदेन सदस्य
4	सचिव, कृषि उपज मण्डी	पदेन सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
6	कोषाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिले की अन्य नगर निकाय के आयुक्त/अधिकाधिकारी	पदेन सदस्य

उक्त समिति दिशानिर्देश जारी होने के साथ ही अपने दायित्व का सम्पादन करेगी। जिला कलक्टर पदेन अध्यक्ष अपने स्तर से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या में कमी/वृद्धि कर सकेंगे तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित कर सकेंगे।

4.3 जिला स्तरीय समिति के दायित्व :-

- रसोई के संचालन हेतु सेवाभावी संस्था का चयन करने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करना। आमंत्रित प्रस्ताव में से नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से चयन करना। चयनित संस्था से तीन वर्ष की अवधि के अनुबंध का निष्पादन करना।
- रसोई के लिये आधुनिक किचन, उपकरणों का निर्धारण, भोजन बनाने के लिये आवश्यक सामग्री, बैठक व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत अधोसंरचना संबंधित नगर निकाय द्वारा तैयार योजना की स्वीकृति।
- रसोई में वितरित होने वाले साप्ताहिक मैन्यू का निर्धारण।
- रसोई में सफल संचालन हेतु अंतर्विभागीय समन्वय, इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की नियमित बैठक आयोजित करना।
- रसोई के प्रभावी संचालन हेतु सतत मोनेटरिंग एवं समीक्षा एवं राज्य सरकार को संचालन में सुधार हेतु सुझाव देना।
- रसोईयों द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता एवं हाईजीन की नियमित रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिले की नगर निकाय में नियुक्त खाद्य निरीक्षक द्वारा जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।
- नगरीय निकायों को योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं निर्देशन।
- जिले की समस्त नगर निकायों में इस योजना के लिए प्रस्तुत बिलों को समय पर एवं नियमित भुगतान को सुनिश्चित करना।

Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

- इस योजना में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान जिला स्तर पर किया जायेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त होंगे।
 - नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणीकृत बिलों के भुगतान की प्रक्रिया आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसकी समस्त प्रक्रिया जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति द्वारा की जावेगी।
 - समिति सम्पूर्ण जिले की नगर निकायों में होने वाले इस योजना के संभावित व्यय की गणना करेगी एवं उसके लिए निदेशालय से आवश्यक बजट की मांग करेगी।
 - समिति को अपेक्षित सहयोग करने के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय में प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
 - सचिव, कृषि उपज मण्डी अच्छी क्वालिटी स्तर का अनाज, सब्जी इत्यादि रियायती दर पर उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।
- 5. संस्था की भूमिका एवं दायित्व** – जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति से चयनित संस्था रसोई के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। चयनित संस्था, जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति तथा नगरीय निकाय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। संस्था के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे:-
- 5.1 संस्था द्वारा लाभार्थियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जावेगा।
 - 5.2 संस्था द्वारा भोजन बनाने हेतु रसद व अन्य सामग्री यथा आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाले इत्यादि स्वयं के खर्च पर क्रय किये जायेंगे। स्थानीय निकाय द्वारा बिल प्राप्त होने पर केवल अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
 - 5.3 भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित समस्त कार्य तथा केन्द्र को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक कार्मिक एवं साधनों की व्यवस्था की जावेगी।
 - 5.4 संस्था द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण करने से संबंधित कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों का वेतन भुगतान एवं उपयोग में लिए जा रहे साधनों का क्रय स्वयं के स्तर पर किया जावेगा।
 - 5.5 भोजन व्यवस्था के लिए लगाने वाले ईंधन/गैस की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर की जावेगी।
 - 5.6 संस्था को जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति की सलाह से सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय स्वादानुसार मैनु तैयार करना होगा। संस्था द्वारा भोजन का मैनु, मूल्य एवं समय का विवरण रसोई के आसपास सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।



 **Bhawani Singh Detha**
Secretary to Government

- 5.7 रसद एवं अन्य सामग्री तथा रसोई पर हो रहे आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जायेगा, जो कम्प्यूटरीकृत होगा। यह समस्त जानकारीयां पब्लिक डोनेशन में उपलब्ध होगी। जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग कमेटी संस्था को दिए गए अनुदान की जाँच कर सकेगी।
- 5.8 लाभार्थियों से भोजन हेतु राशि नगद के अलावा ऑनलाईन यथा पेटीएम, फोनपे, इत्यादि के माध्यम से भी ली जा सकेगी।
- 5.9 लाभार्थी से निर्धारित प्रक्रिया से राशि प्राप्त कर कूपन जारी करना होगा। तत्पश्चात ही भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य दस्तावेज भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है।
- 5.10 लाभार्थी से दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन की निर्धारित राशि 8 रुपये प्रति थाली ली जावेगी।
- 5.11 संस्था द्वारा वितरित भोजन की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु मासिक बिल संबंधित नगर निकाय को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। संस्था नगर निकाय से बिलों को प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतु जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर परिषद के आहरण वितरण अधिकारी को भिजवाने में सहयोग करेगा।
- 5.12 संस्था का यह दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो रसोई पर नियत समय सीमा में भोजन के लिये आ रहा है, तो वह बिना भोजन के वापिस नहीं जावे।
- 5.13 प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार/अग्निसुरक्षा उपकरण एवं सैनिटार्इजर आदि रखे जावेंगे।

6. निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य –

- 6.1 संबंधित विभागों को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय प्रबन्धन एवं मोनेटरिंग समिति का गठन किया जावेगा। राज्य स्तरीय प्रबन्धन एवं मोनेटरिंग समिति का गठन का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

1	माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग	पदेन अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	पदेन सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	पदेन सदस्य
4	प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन सदस्य
5	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	पदेन सदस्य
6	शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	पदेन सदस्य
7	शासन सचिव, वित्त (व्यय)	पदेन सदस्य
	निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य सचिव




Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

- 6.2 योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा 50 प्रतिशत प्रथमतया मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य मदों से उपलब्ध करवाई गई राशि से किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर नगर निकाय द्वारा व्यवस्था की जायेगी।
- 6.3 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मोनेटरिंग हेतु कुल योजना के 15 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय का प्रावधान किया जायेगा। इस राशि से निदेशालय स्तर पर, जिला मुख्यालय की नगर निकायों एवं जिला कलेक्टर स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन कर संचालन किया जा सकेगा। योजना का प्रचार प्रसार भी इस मद से किया जायेगा।
- 6.4 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आई.टी. आधारित रियल टाईम ऑनलाईन मोनेटरिंग सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक रसोई को इस सिस्टम से जोड़ा जायेगा। लाभार्थियों को भोजन लेते समय कूपन जारी किया जावेगा। इस कूपन का संधारण स्टेट डाटा सेन्टर में किया जायेगा। प्रत्येक रसोई में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना भी की जाएगी एवं इसको स्टेट डाटा सेन्टर से भी जोड़ा जाएगा।
- 6.5 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं कार्य प्रणाली तैयार कर जारी करना। जिला स्तर से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में मार्गदर्शन करना।
- 6.6 संभाग स्तर पर सभी नगर निकायों में समन्वय स्थापित करने हेतु उप निदेशक (क्षेत्रीय) अपने संभाग में निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।
- 6.7 उप निदेशक (क्षेत्रीय), जिला स्तरीय समितियों, निकाय स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण, मोनेटरिंग, समीक्षा व विभिन्न प्रतिवेदनों का परीक्षण कर योजना को सफल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।
- 6.8 योजना के संचालन हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण का आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित इकाईयां होगी।
- 6.9 जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के स्तर पर इन्दिरा रसोई योजना के दिशा-निर्देशों में परीक्षण पश्चात परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 6.10 निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में इस योजना की नियमित समीक्षा हेतु स्थायी एजेण्डा बनाया जायेगा।

7. भुगतान प्रक्रिया –

- 7.1 जिले की समस्त नगर निकायों के बिलों का भुगतान जिला स्तर पर किया जायेगा। भुगतान प्रक्रिया सम्पादित करने के लिए जिला मुख्यालय की नगर निकाय के आयुक्त, आहरण वितरण अधिकारी होंगे।

(Bhawani Singh Detha)
Secretary to Government

- 7.2 इन्दिरा रसोई योजना हेतु राज्य स्तर पर एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता खोला जाकर योजनान्तर्गत प्राप्त राशि इस खाते में जमा करवाई जायेगी।
- 7.3 जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति का भी अलग से एक बैंक खाता खोला जायेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट दान एवं सहयोग की राशि जमा करा सकेगा।
- 7.4 जिला स्तर पर भुगतान हेतु भी जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर परिषद में योजना हेतु अलग से बैंक खाता खोला जाएगा। योजना का किसी भी प्रकार का भुगतान इन्हीं बैंक खातों से किया जाएगा।
- 7.5 भुगतान की गणना निर्धारित प्रक्रिया से जारी कूपन के आधार पर की जायेगी, जिसका संधारण स्टेट डाटा सेन्टर पर होगा।
- 7.6 चयनित संस्था से लाभार्थी दोपहर का भोजन प्रति थाली 8 रु0 एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 8 रु0 का भुगतान कर कूपन प्राप्त कर कूपन के माध्यम से ही भोजन प्राप्त कर सकेगा।
- 7.7 चयनित संस्था को लाभार्थी द्वारा देय राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि देय होगी। अनुदान राशि दोपहर का भोजन प्रति थाली 12 रु. एवं रात्रिकालीन भोजन प्रति थाली 12 रु. देय होगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी से ली गयी राशि पर देय जीएसटी का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- 7.8 अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा वितरित किये गये भोजन एवं उसके आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित वास्तविक वितरित भोजन की इकाईयों के आधार पर बिल तैयार करवाये जायेंगे। इन बिलों का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।
- 7.9 जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले में स्थित सभी नगरीय निकायों में संचालित रसोईयों की अधिकतम सीमा से अधिक भोजन वितरण का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 7.10 मासिक आधार पर बिल तैयार किए जायेंगे तथा संस्था द्वारा महिने का बिल आगामी माह की 07 तारीख तक संबंधित नगर निकाय में प्रस्तुत करेगा।
- 7.11 संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों का प्रमाणीकरण संबंधित नगर निकाय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध इकाईयों के आधार पर किया जायेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलों को संबंधित नगर निकाय द्वारा आगामी 07 दिवसों में आवश्यक रूप से जिला मुख्यालय की नगर निकाय (आहरण वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- 7.12 प्रमाणित बिलों को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिवसों में संबंधित संस्था को भुगतान किया जाएगा।

5/

8. मोनेटरिंग व्यवस्था —

- 8.1 योजना की आई टी मोनेटरिंग हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साफ्टवेयर कर आईटी आधारित मोनेटरिंग सिस्टम से प्रत्येक रसोई को जोड़ा जायेगा, जिसके माध्यम से रियल टाइम मोनेटरिंग, रसोई पर उपस्थित सीसीटीवी कैमरे का लाईव फीड एवं विडियो कान्फ्रेन्सिंग आदि से की जायेगी। इस कार्य हेतु निदेशालय के संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए योजना की मोनेटरिंग व्यवस्था की जावेगी।
- 8.2 योजना में लाभार्थियों की सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होगी।
- 8.3 प्रत्येक रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर एवं कैमरा होगा, जिससे लाभार्थी के रसोई में आगमन के समय कैमरे की मदद से आगन्तुक की फोटो खींचकर उसके नाम से भोजन हेतु कूपन जारी करेंगे। साथ ही कूपन प्राप्त करते ही लाभार्थी को एक एसएमएस प्रेषित किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी द्वारा फिडबैक भी दिया जा सकेगा। लाभार्थी से संबंधित समस्त डेटा का रियल टाइम आधार पर स्टेट डाटा सेन्टर पर स्वतः संधारण होगा।
- 8.4 मोबाईल ऐप द्वारा निदेशालय, उप निदेशक (क्षेत्रीय), जिला कलक्टर एवं निकाय स्तर पर मोनेटरिंग।
- 8.5 सॉफ्टवेयर के स्तर पर ही कन्ट्रोल मैकेनिज्म तैयार किया जायेगा।
- 8.6 निदेशालय के अधिकारी/जिला स्तरीय समिति के सदस्यों/जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित अधिकारियों यथा जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी/नगर निकायों के अधिकारी द्वारा भोजन की गुणवत्ता, रसोईयों की व्यवस्था इत्यादि का नियमित निरीक्षण (प्रति सप्ताह) किया जाकर निदेशालय/जिला कलक्टर को आवश्यक सुझाव/रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- 9 **अंकेक्षण** — महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशालय के स्तर से गठित अंकेक्षण दल द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में संचालित इन्दिरा रसोई के व्यय का वार्षिक अंकेक्षण किया जाएगा। साथ ही संचालक संस्था की सी.ए आडिट भी कराई जावेगी।
- 10 **पारितोषिक/प्रशस्ति पत्र** —जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 2 रसोई संचालन संस्था को जिला कलक्टर प्रति वर्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे तथा 1 रसोई संचालन संस्था को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए नामित करेंगे।

